लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 162वीं बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः—

01.	श्री अनिल गर्ग	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
02.	श्री प्रभु एन0 सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री कौशल राज शर्मा	जिलाधिकारी, लखनऊ।
04.	श्री उदय राज सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री डी0सी0 गुप्ता	वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।
06.	श्री मो0 सलीम अहमद	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	श्री एम0के0 भाटिया	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
08.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन।

अन्य उपस्थितिः—

09.	श्री एम0पी0 सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10.	श्री अनिल भट्नागर	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	श्री आर0के0 सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री विश्व भूषण मिश्र	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री आर0जी0 सिंह	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का स्वागत किया गया तथा उपस्थित सदस्यों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

<u>विषय संख्या : 1क</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.05.2017 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

<u>निर्णय :</u> प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

<u>विषय संख्या : 1ख</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

<u>निर्णय :</u> प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को पूर्व में ही कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। दिनांक 24.05.17 को सम्पन्न बैठक में पुष्टि हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में अद्यतन कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

<u>विषय संख्या : 2क</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.05.2017 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

<u>निर्णय :</u> प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं कतिपय विषयों पर निम्नांकित निर्देश दिये गयेः–

- अनिस्तारित एवं रिक्त सम्पत्तियों (आवासीय एवं व्यवसायिक) के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जन–सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत जो भी सम्पत्ति वेबसाइट पर अपलोड की जाय, उसमें सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण (सम्पत्ति संख्या, लोकेशन, क्षेत्रफल एवं मूल्य) का उल्लेख अवश्य किया जाय।
- प्राधिकरण द्वारा जिन परियोजनाओं हेतु शासकीय अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त किया गया हो या ऋण लेने की प्रक्रिया गतिमान है, इस सम्बन्ध में पूर्व में सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अधिशासी अभियन्ता जोन–1 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के सम्बन्ध में बैठक का कार्यवृत्त जारी किया जा चुका है। उपाध्यक्ष को उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर शासन को संदर्भित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- सीजी सिटी परियोजना के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा जो रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, उसे उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से आयुक्त/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित की जाय। सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता का आंकलन कर लिया जाय एवं प्रयास किया जाय कि सुरक्षाकर्मियों की तैनाती उ0प्र0 भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से ही की जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि पीक आवर्स के दृष्टिगत प्रातः एवं देर रात को अधिक संख्या में गार्डो की तैनाती की जाय।

- हरदोई रोड स्थित बालागंज कामर्शियल काम्पलेक्स में अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये निर्देशों के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता श्री अरूण कुमार सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने हेतु कार्यवाही की जाय एवं वर्तमान अधिशासी अभियन्ता 03 माह के अन्दर अवैध अतिक्रमण को हटवाकर बोर्ड को सूचित करें।

- यथावश्यकता प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को वापस किये जाने हेतु शासन को अनुस्मारक प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>विषय संख्या : 2ख</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

<u>निर्णय :</u> प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं विषय संख्या–14, 15, 18 व 19 पर बिन्दुवार निम्नांकित निर्देश दिये गयेः–

- गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 तथा सेक्टर–6 के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित आंशिक संशोधन विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये।

- खसरा संख्या–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद, जागीर तहसील–सरोजनी नगर, लखनऊ का भू–उपयोग ग्रीन (पी1) से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने पर बोर्ड द्वारा पूर्व में अनुमोदन दिया गया था। बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये।

- मे0 अंसल ए0पी0आई0 के हाईटेक टाउनशिप सुशान्त गोल्फ सिटी के अन्तर्गत सेक्टर–सी पाकेट–7 के ग्रुप हाउसिंग संख्या–3, क्षेत्रफल 17924.45 वर्गमी0 (4.42 एकड़) प्रस्तावित

49 रो–हाउसिंग भवनों का मानचित्र दिनांक 19.01.2017 को निर्गत किया गया था। प्रतिबन्धों एवं शर्तों का अनुपालन किया गया है, की जांच करा ली जाय। यदि अनुपालन न किया गया हो, तो मानचित्र स्थगित रखा जाय।

- प्रकरण संख्या–2 एवं 4 के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक श्री जे0एन0 रेड्डी द्वारा तकनीकी समिति के सुझावों का अनुपालन न करने के बावजूद भी मानचित्र निर्गत कर दिये हो, तो उनके विरूद्ध आरोप–पत्र गठित कर शासन को प्रेषित किया जाय।

- विकासकर्ता द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–2 पर प्रस्तुत इण्टरनेशनल ट्रेड पार्क–2 (आई0टी0पी0–2) के व्यवसायिक विन्यास मानचित्र (क्षेत्रफल–26.96 एकड़) परमिट संख्या–41150 दिनांक 23.02.2017 को निर्गत किया गया था। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रतिबन्धों एवं शर्तों का अनुपालन किया गया है, की जांच करा ली जाय। यदि अनुपालन न किया गया हो, तो मानचित्र स्थगित रखा जाय।

- इसके अतिरिक्त हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत स्वीकृत की गई जनसुविधाओं की विस्तृत जांच के साथ प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन निर्गत किये गये मानचित्रों का परीक्षण किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिनमें निम्नांकित सदस्य होंगे:–

श्री विश्व भूषण मिश्रा, नजूल अधिकारी	सदस्य
श्री इन्दु शेखर सिंह, मुख्य अभियन्ता,	सदस्य
श्री नितिन मित्तल, मुख्य नगर नियोजक	सदस्य संयोजक
श्री डी0सी0 गुप्ता, सीनियर प्लानर	सदस्य
श्री अमित कुमार, डिप्टी कलेक्टर	सदस्य

उक्त समिति हाईटेक परियोजना के समस्त प्राविधानों के क्रम में जनसुविधायें, सड़के, जल निकासी एवं पार्क इत्यादि का स्थलीय परीक्षण कर स्पष्ट आख्या बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

- नियोजित कालोनियों के आवासीय भूखण्डों पर प्रस्तावित अनावासीय (बैंक, नर्सिंग होम, होटल, स्कूल आदि) क्रियाओं के भवन मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर पूर्व में बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>विषय संख्या : 3</u>

प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 में दर्शित ट्यूबवेल, क्षेत्रफल 215.38 वर्गमी0 को नया आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाने एवं सन्निकट स्थित पार्क में ट्यूबवेल हेतु चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त श्री इत्तिफाक हुसैन व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–177/एलए/14 व अवमाननावाद संख्या–1852/सी/16 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 में दर्शित ट्यूबवेल को सन्निकट स्थित पार्क में स्थापित किये जाने एवं ट्यूबवेल हेतु चिन्हित भूमि पर भूखण्ड संख्या–1291ए क्षेत्रफल 215.38 वर्गमी0 सृजित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में आवश्यक संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पार्क का क्षेत्रफल कम न हो।

<u>विषय संख्या : 4</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत संविदा वाहन चालकों को नियमित वेतनमान एवं उस पर समय–समय पर देय मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रेड–पे, भवन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, प्राधिकरण भत्ता, वाहन भत्ता एवं एन0पी0ए0 भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्ताव वापस लिया गया।

<u>विषय संख्या : 5</u>

विकास प्राधिकरण में समूह ग एवं घ (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त विनियमितीकरण नियमावली 2016 से प्रभावित कार्मिकों के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>विषय संख्या : 6</u>

ल0वि0प्रा0 की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त एक पी0सी0एस0 स्तर के अधिकारी की सेवा लिये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के कार्य हेतु सेवानिवृत्त एक पी0सी0एस0 स्तर के अधिकारी को नियमानुसार संविदा पर रखे जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 7

अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम–मकदूमपुर, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा संख्या–242 रकबा–2–12–14–0 बीघा के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में पारित निर्णय, जो कि शासनादेश दिनांक 22.10.2002 में उल्लिखित प्राविधानों के विपरीत होने के कारण रिट याचिका सं0–67/एल0ए0/10 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ कनेक्ट रिट याचिका संख्या–4297/एम0बी0/16 उमेश्वर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 के आलोक में निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम–मकदूमपुर, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा संख्या–242 रकबा–2–12–14–0 बीघा के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में पारित निर्णय के बारे में रिट याचिका सं0–67/एल0ए0/10 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ कनेक्ट रिट याचिका संख्या–4297/एम0बी0/16 उमेश्वर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 में की गई टिप्पणी के आलोक में निरस्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 8

सहायक महाप्रबन्धक परिसर एवं सम्पदा स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा सेक्टर–आई, जानकीपुरम में 13320.50 वर्गमी0 समूह आवास निर्माण सम्बन्धित मानचित्र के सम्बन्ध में।

निर्णय :

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि पार्क क्षेत्रफल कम किये जाने एवं भूखण्डीय विकास हेतु आवंटित भूखण्डों पर समूह आवास प्रस्तावित किये जाने के दृष्टिगत उक्त की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। अतः प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 9

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के मानकों में संशोधन के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के मानकों में संशोधन भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011/2016) में प्रस्तावित संशोधन पर निर्णय लिये जाने से पूर्व

इसके परीक्षण हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्नांकित सदस्यों की एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गयाः—

वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0	सदस्य
मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0	सदस्य
श्री नितिन मित्तल, मुख्य नगर नियोजक	सदस्य संयोजक
श्री डी0सी0 गुप्ता, सीनियर प्लानर उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य

इस सम्बन्ध में अन्य विकास प्राधिकरण से भी जानकारी प्राप्त कर ली जाय तथा समिति उक्त का परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव पुनः विचारार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

<u>विषय संख्या : 10</u>

अमृत योजना एवं Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के क्रियान्वयन हेतु प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि—2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन से सम्बन्धित शासनादेश के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलाज—2016 तथा Ease of Doing Business से सम्बन्धित शासनादेश को यथावत अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि—2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में सम्मिलित समझे जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>विषय संख्या : 11</u>

भारत सरकार की ''अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन'' (अमृत) योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने हेतु धनराशि के भुगतान तथा जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान के लिए बेस मैप तैयार करने हेतु एजेन्सी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार की ''अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन'' (अमृत) योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने हेतु लखनऊ महायोजना—2031 को परिवर्तित करने तथा पूर्व में बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में तदानुसार जोनल प्लान तैयार करने हेतु उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को एजेन्सी घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य हेतु उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से समय—सारणी प्राप्त कर ली जाय।

विषय संख्या : 12	प्राधिकरण द्वारा विकसित कानपुर रोड योजना के सेक्टर–डी1 के तलपट मानचित्र की भूमि क्षेत्रफल लगभग 9276.00 वर्गमी0 पर सृजित एस0एस0 टाइप के भूखण्डों/भवनों के निर्माण के फलस्वरूप एक्जीक्युशन पार्ट ले–आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव वापस लिया गया।
विषय संख्या : 13	शासन के पत्र संख्या–933/आठ–6–17–05 टी0पी0/2016 दिनांक 18 अगस्त, 2017 के क्रम में डा0 राजा सिंह, निवासी–जे–3/7, डालीबाग, लखनऊ के गोमती नगर विस्तार सेक्टर–1 स्थित भूखण्ड संख्या–सी–1/163 एवं इससे सटी अतिरिक्त भूमि 46.00 वर्गमी0 के बगल स्थित व्यवसायिक भूखण्ड को पक्षकार द्वारा कार्नर की भूमि बताकर सड़क की मांग की जा रही है, के निस्तारण के सम्बन्ध में।
निर्णय :	गुणदोष के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
विषय संख्या : 14	प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या–टीसी/25–वी एवं टीसी/26–वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	पूर्व में भी 02 भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत करने एवं वर्तमान में प्रस्तावित दोनों भूखण्ड का स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास होने के दृष्टिगत भूखण्ड संख्या–टीसी/25–वी एवं टीसी/26–वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का एकीकृत मानचित्र प्रभावी भवन उपविधि में प्राविधानित सेटबैक्स की शर्त के साथ स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
विषय संख्या : 15	प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन पार्कों में प्रवेश शुल्क की राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	पार्कों में प्रवेश हेतु बढ़ी हुई टिकट दरों से बोर्ड को अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
अन्य बिन्दु	• निर्देश दिये गये कि यदि किसी भी विभागाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के समक्ष भ्रमात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की जाती है और प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। • अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हाईटेक/इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत/निर्गत किये जाने वाले भवन मानचित्रों के

आधार पर होने वाले निर्माणों का सतत् निरीक्षण कर यह देखा जाय कि मौके पर निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं? उक्त श्रेणी के मानचित्रों में प्रतिबन्धों एवं शर्तों को पूर्ण करने की समय–सीमा भी अंकित होनी चाहिये तथा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर प्रतिबन्धों एवं शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो निर्गत किया गया मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(एम0पी0 सिंह)
सचिव

(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(अनिल गर्ग) 08/1/18
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।